फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/56) **श्री अशोक कुमार जायसवाल व अन्य बनाम श्री अमरा जटिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** **1. श्री अशोक कुमार पिता श्री भेरूलाल जायसवाल, निवासी कोटडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।** **2. श्री भोपालसिंह पिता श्री भेरूसिंह राव, निवासी नाहरगढ़ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **1. श्री अमरा पिता श्री कालु जटिया, निवासी नाहरगढ़, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़** **2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 172/2022 निर्णय दिनांक 24.05.2022 (अनवान श्री अमरा बनाम श्री अशोक कुमार वगैरह)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 13.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 172/2022 निर्णय दिनांक 24.05.2022 (अनवान श्री अमरा बनाम श्री अशोक कुमार वगैरह) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष दिनांक 24.05.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा नाहरगढ़ प.म. नाहरगढ़ में स्थित कृषि आराजीयात संख्या 784 रकबा 0.6800 हैक्टेयर के कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से पडौसी विपक्षीगण (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) के साथ सीमा विवाद की स्थिति रहती है। अतः उनके खातेदारी भूमि की मौके पर नपती कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावें। • उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 24.05.2022 को पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 24.05.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष अपील अन्दर मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 05.04.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2022 को एक ही दिवस में दर्ज कर उसी दिनांक को निस्तारित कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको कोई नोटिस/सम्मन जारी नहीं किया गया, न ही उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया था उक्त निर्णय दिवस पर प्रभावी था। उक्त भूमि अपीलार्थी के पूर्व खातेदार को व प्रत्यर्थी को बराबर आवंटित हुई थी, परन्तु सेटलमेंट के दौरान भूमि कम कर दी गई। उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी को इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही की जानी थी, परन्तु उसके द्वारा सीमा ज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो अनुचित है। बिना सम्यक तामिल के उक्त आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 52/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/56) **श्री अशोक कुमार जायसवाल व अन्य बनाम श्री अमरा जटिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित करा दिया जो निरस्तनीय है और नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर प्रकरण पुनः सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य एवं सबूत को लेकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस के खण्डन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त निर्णय में विवादित आराजीयात की बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी किये पक्षकारान की मौजुदगी में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये है, जिसमें किसी के हित प्रभावित नहीं होते है। कोई भी खातेदार अपनी भूमि की नपती एवं पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। **अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपनी बहस में यह भी जाहिर किया कि यदि न्यायहित में प्रकरण पुनः सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य एवं सबुत को लेकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।**

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर प्रकरण गुणावगुण निस्तारित करने अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष वर्तमान अपील के अपीलार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 24.05.2022 को आवेदन कर पत्थरगढ़ी किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अन्य पक्षकारों को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया, जो राजस्व कोर्ट मेन्युअल, राजस्व नियमावली एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकुल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-128 एलआर एक्ट को एडमिशन स्तर पर स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने में अपनी अनापत्ति जाहिर की है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, भदेसर को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर, राजस्व अपील प्राधिकारी समक्ष लम्बित प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जांच उपरान्त, प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर नये सिरे से एक माह में निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर